

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग


क्रमांक : एफ 1 (38) परि/स्था./92/ 16585

जयपुर, दिनांक:- 11/11/2013

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम, 59) की धारा 68 की उप-धारा (1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (38) परि/स्था./92/41518 दिनांक 25.08.2009 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार श्री पवन अरोड़ा, अपर परिवहन आयुक्त को एतद् द्वारा जयपुर (दक्षिण), जयपुर (उत्तर), अलवर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, दौसा, सीकर, चित्तौड़गढ़, पाली एवं भरतपुर क्षेत्रों के लिए सभी प्रकार के परिवहन यानों (मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अन्तर्गत टयूरिस्ट परमिट को छोड़कर) के परमिट हेतु सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,




(पवन अरोड़ा)

उप शासन सचिव (मु0)

क्रमांक : एफ 1 (38) परि/स्था./92/ 16586 - 98 जयपुर, दिनांक:- 11/11/2013

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 11/11/2013 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, परिवहन राज्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं पदेन अति. मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार, लेखा परीक्षा-II, राजस्थान सरकार।
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. समस्त प्रादेशिक/अति.प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
12. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।
13. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
14. रक्षित पत्रावली।



(पवन अरोड़ा)

उप शासन सचिव (मु0)